

10/2/25

पञ्जाबी पेशा इंड / पार्सी फ़ैरेकार सरकार इण्ड / पार्सी ने
प्राप्त तर्जिमे वकील आगामी कार्यवाही श्रेय करवाने
करना पेश कर निवेदन किया कि उक्त वादकृत भूमि
पार्सी ने प्रतिवधि ले दम करने के पश्चात कृषि ले कृषि
भूमि जैवोद्योगिक प्रोजेक्ट्स से परिचरित करवा ली है।
संपत्तिगत ओरेश क्रमांक LC/2024-25/205524 दिनांक
24/01/25 की विज्ञापन कार्या नमंक 3 के बाब प्रस्तुत
की है। वादकृत भूमि पर अधिपत्ती निषेधाज्ञा जारी होने
के कारण पार्सी द्वारा संपत्तिगत करवाई कई भूमि
का नामान्तरकरण दर्ज नहीं हो रहा है। कना उक्त
प्रकरण को श्रेय किये जाने के ओरेश करता है।

पार्सी द्वारा प्राप्ता संपत्तिगत ओरेश एवं पञ्जाबी
पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।
बाद अवलोकन पका गया कि पार्सी वकील फ़ैरेकार
सरकार ने प्राप्ता-पत्र अधिपत्ती वास रुक भूमि पर
गैर उचित कार्य किये जाने के लक्ष्य में प्राप्ता
किया का। पञ्जाबी परिकार में उक्त भूमि संपत्तिगत
ले चुकी है। कना प्राप्ता-पत्र में कोई कार्यवाही
कार्यवाही नहीं होने से पार्सी का प्र.पत्र/वाद खारिज
किया गया है। पञ्जाबी फैसल शुक्रा एकर दम नमंक
3 का है, बाद तस्वील दाखिल दफ्तर है।

10/2/25
संतुषाराम फ़ैरेकार
(A.A.S.)